न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर ए एस

1. राजस्व वाद संख्या – 40 / 2015

वादी | **बनाम** | **प्रतिवादीगण**

भूण्डाराम पुत्र श्री भीकाराम
जाति जाट, निवासी हरियाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 नारायणराम पुत्र श्री गिरधारीराम
के कायम मुकाम –
1/1 पुखाराम पुत्र नारायणराम
1/2 भंवरलाल पुत्र नारायणराम
1/3 सुवादेवी पुत्री नारायणराम
1/4 पपली पुत्री नारायणराम
1/5 रूकमादेवी पत्नी नारायणराम
2. मोहनलाल पुत्र राणाराम
3. मलाराम पुत्र राणाराम
4. श्रवणराम पुत्र राणाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण
हरियाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला
जोधपुर
5. दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा
बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

2. राजस्व वाद संख्या :– 62 / 2015

वादीगण

1. नारायणराम पुत्र श्री गिरधारीराम
के कायम मुकाम :–
1/1 पुखाराम पुत्र नारायणराम
1/2 भंवरलाल पुत्र नारायणराम
1/3 सुवादेवी पुत्री नारायणराम
1/4 पपली पुत्री नारायणराम
1/5 रूकमादेवी पत्नी नारायणराम
2. मोहनलाल पुत्र राणाराम
3. मलाराम पुत्र राणाराम
4. श्रवणराम पुत्र राणाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण
हरियाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला
जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भूण्डाराम पुत्र श्री भीकाराम
जाति जाट, निवासी हरियाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा
बिलाड़ा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व वाद संख्या – 90/2015

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1 मोहनलाल पुत्र राणाराम
2 मलाराम पुत्र राणाराम
3 श्रवणराम पुत्र राणाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण
हरियाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला
जोधपुर

प्रतिवादीगण:

1 [illegible] पुत्र श्री [illegible]
जाति जाट निवासी हरियाड़ा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2 राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– श्री धीरज चौधरी एडवोकेट, वास्ते वादी (दावा सं. 40/2015)
श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट वास्ते वादी (दावा सं. 62/2015
तथा 90/2015)।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 14.7.2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान का राजस्व वाद संख्या 40/2015 तथा राजस्व वाद सं. 62/2015 एवं राजस्व वाद संख्या 90/2015 के तीनों प्रकरण ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 810, 482 के बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किये हुये है। उपरोक्त अनवान के तीनों प्रकरणों को राजस्व वाद संख्या 40/2015 के साथ समेकित किया जाकर इनका निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। वाद संख्या 40/2015 में वादीगण की ओर से दावा इस आधार का पेश किया गया कि ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 482 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है। काश्त की सुविधा के लिए खसरा नम्बर 810 के दो भाग किये हुये है। जिसके अनुसार वादी का ABCD भाग में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का CDEF भाग व खसरा नम्बर 482 के दो भाग किये हुये है, जिसके अनुसार वादी का ABCD भाग में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का CDEF भाग व खसरा नम्बर 482 के दो भाग किये हुय है, जिसके अनुसार वादी का ABCD भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का BCDE भाग पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, पक्षकारों के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त का नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न है।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 01.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा मय नलकूप में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवाड़े की डिक्री प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। खसरा नम्बर 810 में खुदे हुए नलकूप (कुए) तक जाने के लिए पक्षकारों के बीच रास्ता आदि रखा जावे। इसी अनुसार ग्राम हरियाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 482 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा तथा वादी का 1/2 हिस्सा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के बीच बंटवाड़े की डिक्री प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 810 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा वादी भूण्डाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार, भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी भंवरलाल, पुखाराम पि. नारायणराम, सुआ, पपली पुत्रिया नारायणराम, रूकमादेवी पत्नी नारायण जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी मोहनलाल, मल्लाराम, श्रवणराम पि. राणाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार, खसरा नम्बर 810 रकबा 04 बिस्वा नलकूप (कुए) तथा कृषि भूमि पर आने जाने हेतु दोनो पक्षकारों के बीच रास्ता रखा जाता है एवं इसी अनुसार खसरा नम्बर 482 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, भूण्डाराम पुत्र श्री भीकाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार तथा खसरा नम्बर 482 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा मोहनलाल, मल्लाराम, श्रवणराम पि. राणाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार के बंट में रखी जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो एक–दुसरे की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 14.7.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी

भूण्डाराम पुत्र श्री भीकाराम
जाति जाट, निवासी हरियाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नारायणराम पुत्र श्री गिरधारीराम
   के कायम मुकाम :–
   1/1 पुखाराम पुत्र नारायणराम
   1/2 भंवरलाल पुत्र नारायणराम
   1/3 सुवादेवी पुत्री नारायणराम
   1/4 पपली पुत्री नारायणराम
   1/5 रूकमादेवी पत्नी नारायणराम
2. मोहनलाल पुत्र राणाराम
3. मलाराम पुत्र राणाराम
4. श्रवणराम पुत्र राणाराम
   सभी जातियान जाट निवासीगण
   हरियाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला
   जोधपुर
5. दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 40/2015

निर्णय दिनांक :– 14-7-2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री धीरज चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा खसरा नम्बर 810 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा वादी भूण्डाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार, भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी भंवरलाल, पुखाराम पि. नारायणराम, सुआ, पपली पुत्रिया नारायणराम, रूकमादेवी पत्नी नारायण जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी मोहनलाल, मल्लाराम, श्रवणराम पि. राणाराम जाति जांट सा. हरियाड़ा खातेदार, खसरा नम्बर 810 रकबा 04 बिस्वा नलकूप (कुए) तथा कृषि भूमि पर आने जाने हेतु दोनो पक्षकारों के बीच रास्ता रखा

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर ... बिलाड़ा

(81)

जाता है एवं इसी अनुसार खसरा नम्बर 482 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, भूण्डाराम पुत्र श्री ओकाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार तथा खसरा नम्बर 482 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा मोहनलाल, मल्लाराम, श्रवणराम पि. राणाराम जाति जाट सा. हरियाड़ा खातेदार के बंट में रखी जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो एक-दुसरे की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तफ्सील मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.7.2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा